110

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–गुना

निगरानी–4030/2018/गुना/भू.रा.

मो. इरशाद कुरैशी पुत्र श्री इलयास कुरैशी
निवासी – कर्नेलगंज, गुना, तहसील व
जिला गुना (म.प्र.)

— — आवेदक

विरूद्ध

1. घनश्याम पुत्र श्री मातादीन अग्रवाल,
2. बालकृष्ण पुत्र श्री मातादीन अग्रवाल,
   निवासी– ए.बी. रोड जयस्तम्भ चौराहा
   गुना, तहसील व जिला गुना (म.प्र.)
3. महिला शमीम बैवा मौ. इलयास कुरैशी
4. इमरान पुत्र स्व0 मौ. इलयास कुरैशी
5. शहजादी पुत्री स्व0 मो. इलयास कुरैशी
6. शेबी पुत्री स्व0 मो. इलयास कुरैशी
7. शबाना पुत्री स्व0 मो. इलयास कुरैशी
   निवासीगण– कर्नेलगंज, गुना, तहसील
   व जिला गुना (म.प्र.)

— — — अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज 23-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-7-18 नियत। 23-6-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

23/06/18

न्यायालय तहसीलदार वृत्त 3, गुना, जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 0164/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक, गुना के समक्ष नानाखेड़ी प.ह.नं.64 भूमि सर्वे क्रमांक 18/1/मिन–1, रकबा 0.227 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 18/1 मि–2, रकबा 0.013 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 19 रकबा 0.575 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 18 एवं 19 के संबंध में सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 07.04.2018 को प्रस्तुत किया गया एवं एक दूसरा आवेदन पत्र इन्हीं नामों के सम्बन्ध में इन्ही सर्वे क्रमांकों के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र को विधिवत रूप से संस्थित किये बिना ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी और राजस्व निरीक्षक वृत्त 3, गुना को सीमांकन कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया तथा उन्होंने दिनांक 14.06.2018 को पंचनामा बनाकर फील्ड बुक तैयार कराकर सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
2. यहकि, उपरोक्त सीमांकन कार्यवाही में सभी मेडिया कृषकों को विधिवत रूप से सूचनापत्र नहीं दिये गये, केवल सूचनापत्र मो. इरशाद को प्राप्त हुआ एवं वह मौका स्थल पर उपस्थित हुआ तथा उसने विधिवत रुप से आपत्ति प्रस्तुत की एवं बताया कि उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 11/मिन–1 एवं 11/मिन–2 है, जिसके कई भूमिस्वामी हैं एवं प्रत्येक भूमिस्वामी को सूचनापत्र नहीं दिया गया है तथा स्थल पर कोई सीमा चिन्ह

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :– निगरानी–4030/2018/गुना/भू.रा.

मौ. इरशाद कुरैशी विरूद्ध घनश्याम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
17–06–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार वृत्त 3, गुना, जिला–गुना के प्रकरण क्रमांक 0164/अ–12/2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20–06–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी गुना, जिला–गुना को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 09–08–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 17/6/19 सदस्य